रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 355] नई दिल्ली, रविवार, अगस्त 1, 1976/श्रावण 10, 1898
No. 355] NEW DELHI, SUNDAY, AUGUST 1, 1976/SRAVANA 10, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Export Production)

ORDER

New Delhi, the 1st August 1976

S.O. 518(E).—Whereas the Central Government had made a reference to the Tariff Commission to make an enquiry into the cost structure of jute goods, namely, B-Twill and D.W. Flour Bags and make an assessment of the actual cost of conversion of raw jute into the said jute goods within a period of three years from the 1st April, 1973;

Whereas the Tariff Commission had made investigation accordingly but could not hold public inquiry for the purpose before submitting its report to the Government for want of quorum;

hereas the Tariff Commission has since been wound up;

And Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, to have an authoritative assessment of the conversion of raw jute into the aforesaid jute goods for the purpose of fixation of fair prices for the purchases made by that Government;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (6 of 1952), the Central Government hereby appoints with effect from 1-8-1976, a Commission of Inquiry consisting of Shri

M. B. Palekar, former member of the Tariff Commission, as sole member to enquire into the cost structure of jute goods, namely, B-Twill and D.W. Flour Bags and to make an assessment of the actual cost of conversion of raw jute into the said jute goods.

The said Commission shall start the work from where it has been left by the Tariff Commission and submit its report to the Central Government within a period of two months.

[No. F.16/4/76-Jute]
B. L. DAS, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(निर्यात उत्पादन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1976

का० आ० 518 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने अप्रैल, 1, 1973 से तीन वर्ष की अवधि के अन्दर जूट के माल अर्थात्, बी० ट्विल और डी० डब्ल्यू० आटे के थैलों की लागत संरचना के बारे में जांच करने और कच्चे जूट के माल में संपरिवर्तन की वास्तविक लागत का निर्धारण करने के लिए टैरिफ आयोग को एक निर्देश किया था ;

तदनुसार टैरिफ आयोग ने अन्वेषण किया था किन्तु गणपूर्ति के अभाव में वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व तत्प्रयोजनार्थ सार्वजनिक जांच नहीं कर सका था ;

अब टैरिफ आयोग का परिसमापन कर दिया गया है, केन्द्रीय सरकार की राय है सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले, अर्थात् उस सरकार द्वारा किए गए क्रयों के उचित कीमतों के नियतन के प्रयोजनार्थ कच्चे जूट के पूर्वोक्त जूट के माल में संपरिवर्तन प्रामाणिक निर्धारण कराने के लिए जांच करने के प्रयोजनार्थ जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है ;

अतः अब जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार जूट के माल, अर्थात्, बी ट्विल और डी डब्ल्यू आटे के थैलों की लागत संरचना के बारे में जांच करने के लिए और कच्चे जूट के उक्त जूट के माल में संपरिवर्तन की वास्तविक लागत का निर्धारण करने के लिए 1-8-1976 से एतद्द्वारा एक जांच आयोग नियुक्त करती है, जिसके श्री एम० बी० पालेकर, भूतपूर्व सदस्य, टैरिफ आयोग, एकमात्र सदस्य होंगे ।

उक्त आयोग वहां से कार्य आरम्भ करेगा जहां वह टैरिफ आयोग द्वारा छोड़ा गया था और वह दो मास के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[सं० फा० 16/4/76-पटसन]

बी० एल० दास, संयुक्त सचिव

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976